अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर **बनाम** मलूक सिंह

अन्तर्गत धारा 84, 86 आरटीए, प्रकरण संख्या 210 सन् 2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2025/306

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.08.2025	पत्रावली पेश हुई। पैरोकार राज उपस्थित। अप्रार्थी मलूक सिंह बावजूद तामील उपस्थित नहीं आया। अप्रार्थी मलूक सिंह को रूक–2 कर तीन बार आवाज लगवाई गई। कोई उपस्थित नहीं आया। अप्रार्थी मलूक सिंह के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाते है। पैरोकार राज को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में भूमि अप्रार्थी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है तथा यह स्थिति भी स्पष्ट नहीं हो रही की वादगत पेड आंधी से गिरे है या अप्रार्थी के द्वारा काटे गए है। लिहाजा प्रार्थी का प्रकरण अन्तर्गत धारा 84, 86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 आशिंक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार श्रीकरणपुर को आदेशित किया जाता है कि चक 59 एफ बी के सरकारी खाले की पूर्वी की पूर्वी दिशा में मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 10 में 1 बबूल, 1 शीशम, व किला नम्बर 11 में 1 बबूल, तथा किला नम्बर 21 में 1 बबूल, 1 शीशम को जब्त कर, नियमानुसार निलामी करवाई जाकर राशि राजकोष में जमा करवाई जावे। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एव पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ (श्रीगंगानगर) श्री करणपुर